उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट लेखा इकाई
7वाँ तल,शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
CORPORATE ACCOUNT UNIT
(A UP GOVERNMENT UNDERTAKING)
7TH FLOOR SHAKTI BHAWAN EXTENSION, LUCKNOW.

UPRVUNL

संख्या 122 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ दिनांक 01 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगम ज्ञाप संख्या 278/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ दिनांक 10.05.2011, ज्ञाप सं0 391 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ दिनांक 11.07.2012, ज्ञाप सं0 235/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/दिनांक 03.05.2012 सपठित ज्ञाप सं0 459 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त)/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 20.09.2012 को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुये अनुरक्षण एवं परिचालन मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के आगामी माहों में मासिक निधि निर्गमन निम्नवत आबंटित किया जाता है। निम्न आवंटन के अतिरिक्त अनुरक्षण एवं परिचालन मद में कोई विशेष निधि की माँग स्वीकार नहीं की जायेगी :–

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित मासिक आवंटन (माह मई, 2015 से)
1.	अनपरा 'अ'	2.62
2.	अनपरा 'ब'	3.12
3.	अनपरा 'द' (इकाई सं0–6 हेतु)	1.56
	योग	**7.30**
3.	ओबरा 'अ'	1.30
4.	ओबरा 'ब'	2.78
	योग	**4.08**
5.	पारीछा 2 X 110 मे0वा0	1.56
6.	पारीछा 2 X 210 मे0वा0	2.08
7.	पारीछा 2 X 250 मे0वा0	2.16
	योग	**5.80**
8.	हरदुआगंज	1.20
9.	हरदुआगंज 2 X 250 मे0वा0	2.16
	योग	**3.36**
10.	पनकी	**1.72**
	कुल योग	**22.26**

टिप्पणी :–

(i) अनपरा 'द' की इकाई सं0–6 हेतु निर्धारित धनराशि का इकाई की कमीशनिंग के उपरान्त निर्गमन प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) ओबरा इकाई संख्या–7 की आर0 एण्ड एम0 उपरान्त जब कमिशनिंग हो तभी मासिक ओ0 एण्ड एम0 मद में ओबरा–अ को दी जाने वाली राशि पर पुर्नविचार कर पुनरीक्षण किया जायेगा।

(iii) हरदुआगंज तापीय परियोजना की इकाई संख्या–7 जब तक उत्पादनरत नहीं होती तब तक पूर्व निर्धारित राशि अनुसार निर्गमन यथावत रहेगा तथा इकाई संख्या–7 के उत्पादनरत होने पर पुनरीक्षित मासिक आवंटन अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

2– अनुरक्षण एवं परिचालन मद में उक्त तालिकानुसार मासिक आवंटन निम्न शर्ताधीन प्रदान किया गया है :–

क) उक्त मासिक आवंटन के विरूद्ध धनराशि प्रत्येक माह दो समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।

ख) परियोजना प्रमुख एवं परियोजना लेखा प्रमुख का दायित्व होगा कि परिचालन एवं अनुरक्षण मद में दायित्वों का सृजन अधिकतम वार्षिक आवंटन की सीमा तक ही करें। परिचालन एवं अनुरक्षण मद में उक्त आवंटन के अतिरिक्त धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। अतएव निगम मुख्यालय को कोई विशेष निधि माँग परियोजना से प्रेषित न की जाये।

परियोजना प्रमुख द्वारा इस सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर नियमित अनुश्रवण कर दायित्व सृजन नियंत्रित करने के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन अनुश्चित किया जायेगा।

ग) मेसर्स बी0एच0ई0एल0 एवं मेसर्स आई0एल0 कोटा के परिचालन एवं अनुरक्षण मद के दायित्वों के विरूद्ध धनराशि अलग से निर्गत की जायेगी।

घ) जिन परियोजनाओं की परफारमेंस उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के मानकों के सापेक्ष अपेक्षाकृत काफी कम है वहाँ पर अतिकाल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। अतिकाल के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

च) यह परिकल्पित है कि अनुरक्षण एवं परिचालन मद में फरवरी 2015 तक के दायित्व निस्तारित होने तथा यथेष्ट मासिक आवंटन किये जाने से परियोजना स्तर पर ओ0 एण्ड एम0 कार्यों एवं ठेकेदारों के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत मशीनों के रख–रखाव में सुधार आयेगा एवं परियोजना स्तर पर अन्तिम किये जा रहे अनुबन्धों में परियोजना द्वारा दृढ़ता से निगोसियेशन किए जा सकेगें, एवं अनुबन्धों के कुल मूल्य में भी कमी आयेगी।

छ) किसी उत्पादन इकाई के दीर्घकाल आर0 एण्ड एम0 में बन्द करने पर मासिक ओ0 एण्ड एम0 धनराशि में कटौती भी की जायेगी।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक 122 /उ0नि0लि0/मु0म0प्र0/वित्त तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन), के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3– निदेशक (वित्त) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– निदेशक (तकनीकी) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– निदेशक (परियोजनाये एवं वाणिज्य) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– सलाहकार (नव परियोजनायें), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/ईधन/वाणिज्य/मानव संसाधन/जानपद/आर0 एण्ड एम0/जानपद–नव परियोजनायें, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9– मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि **उक्त कार्यालय ज्ञाप को निगम की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।**
10– महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11– मुख्य अभियन्ता–I/II, उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र), ओबरा (सोनभद्र), पारीछा (झाँसी), पनकी (कानपुर) को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्धारित सीमा में अनुरक्षण एवं परिचालन व्यय नियंत्रित रखें तथा इस मद में विशेष निधि माँग न प्रस्तुत की जाये।
12– उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, अनपरा–अ/ब/द, ओबरा–अ/ब, पारीछा 2X110 मे0वा0/पारीछा 2 X 210 मे0वा0/ पारीछा 2 X 250 मे0वा0, हरदुआगंज, हरदुआगंज 2 X 210 मे0वा0, पनकी तापीय परियोजना।
13– मुख्य प्रबन्धक, कैश प्रबन्धन इकाई, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

01/5/2015
(राकेश कुमार)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)